C.N.R.No-UPDE040002902006

(J.O.Code-U.P.2269)

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0-17,देवरिया।

पीठासीन अधिकारी-प्रज्ञा सिंह-।।।, (उ0प्र0न्यायिक सेवा यू.पी.02269)

मु0 नं0-1328/2006

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम दीपक व अन्य

शिकायतकर्ता	नफीस चिश्ती पुत्र नईम निवासी-न्यू कालोनी, थाना-कोतवाली, जिला-देवरिया।
अभियुक्तगण	1- विनोद कुमार गौतम पुत्र हरिश्चन्द्र प्रसाद निवासी-दानोपुर, थाना-कोतवाली, जिला-देवरिया। 2- रत्नेश त्रिपाठी उर्फ गोपाल पुत्र बलिभद्र त्रिपाठी निवासी-नन्दना वार्ड पश्चिमी बरहज, थाना-बरहज,जिला-देवरिया।
मु०अ०सं०-	06/06
अंतर्गत धारा	379,411 भा0 द 0 सं0
थाना	कोतवाली, जिला-देवरिया।

घटनाक्रम का तिथिवार विवरण

क्र०सं०	दिनांक	महत्वपूर्ण घटनाएँ
1.	30.12.2005	अपराध कारित किये जाने की तिथि
2.	01.01.2006	वादी मुकदमा की तहरीर
3.	23.03.2006	अपराध का संज्ञान लिये जाने की तिथि
4.	24.06.2009	आरोप विरचित किये जाने की तिथि
5.	24.06.2009	अभियोजन साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि
6.	08.05.2026	अभियोजन साक्ष्य समाप्त किये जाने की तिथि
7.	13.05.2026	अभियुक्तगण के बयानात अंतर्गत धारा-313 दं०प्र०सं० अंकित किये जाने की तिथि
8.	29.06.2026	निर्णय उद्घोषित किया गया।

निर्णय

1. प्रस्तुत प्रकरण में पुलिस थाना कोतवाली, जनपद देवरिया द्वारा अभियुक्तगण विनोद कुमार गौतम व रत्नेश त्रिपाठी उर्फ गोपाल के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या-06/06, अंतर्गत धारा-379,411 भा0 दं0 सं0, थाना कोतवाली, जनपद देवरिया के मामले में आरोप पत्र विचारण हेतु प्रेषित किया गया है।

संक्षिप्त तथ्य-

2. संक्षेप में अभियोजन का कथन इस प्रकार है कि प्रथम सूचनाकर्ता नफीस चिश्ती के अनुसार प्रार्थी न्यू कालोनी देवरिया (एन०सी०सी० आफिस के पश्चिम) का रहने वाला है। प्रार्थी के घर के अंदर हाते में उसकी मोटरसाइकिल हीरो-होन्डा प्लस नं०- यू०पी० 52 जी 6786 इंजन नं०-04C15M13032 चेचिस नं०-04C16C20027 खड़ी थी कि दिनांक-

30.12.2005 को सायंकाल लगभग 07:30 बजे चोरी हो गयी है। आस-पास काफी तलाश किया लेकिन कुछ पता नहीं चला।

आरोप पत्र व आरोप विरचन-

3. इस मामले की विवेचना पुलिस थाना कोतवाली, जनपद देवरिया द्वारा की गयी। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा घटना स्थल का नक्शा नजरी बनाया गया और वादी मुकदमा का बयान व अन्य साक्षियों का बयान दर्ज किया गया। अभियुक्तगण विनोद कुमार गौतम व रत्नेश त्रिपाठी उर्फ गोपाल के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाने के आधार पर अंतर्गत धारा-379,411 भा०दं०सं० का आरोप पत्र न्यायालय मे प्रेषित किया गया।

4. अभियुक्तगण विनोद कुमार गौतम व रत्नेश त्रिपाठी उर्फ गोपाल के प्रति न्यायालय द्वारा दिनांक-23.03.2006 को आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान लिया गया। अभियुक्तगण को सम्मन निर्गत किया गया। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी-अपनी जमानतें करायी गईं। अभियुक्तगण को अभियोजन प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गईं। तत्पश्चात् अभियुक्तगण विनोद कुमार गौतम व रत्नेश त्रिपाठी उर्फ गोपाल के विरूद्ध अंतर्गत धारा-379,411 भा0 द 0 सं0 के अंतर्गत दिनांक 24.06.2009 को आरोप न्यायालय में विरचित किया गया। अभियुक्तगण को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्तगण ने घटना से इंकार किया तथा विचारण की मांग की। उक्त प्रकरण में अभियुक्त दिपक मद्धेशिया की पत्रावली मौजूदा पत्रावली से दिनांक-10.07.2007 को पृथक कर पत्रावली में शेष बचे अभियुक्तगण के विरुद्ध आगे की कार्यवाही हेतु पत्रावली अग्रसारित की गयी।

मौखिक तथा प्रलेखीय साक्ष्य-

5. अभियोजन साक्ष्य के रूप में अभियोजन की ओर से सिद्ध किये गये अभियोजन प्रपत्र निम्न हैं-

क्र०सं०	प्रपत्र	प्रदर्श
1.	लिखित तहरीर	
2.	आरोप पत्र	
3.	नक्शा नजरी	

6. मौखिक साक्ष्य के रूप में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रश्नगत प्रकरण के समर्थन में कोई साक्षी साक्ष्य के रूप में परीक्षित नहीं कराया गया है। प्रस्तुत वाद वर्ष 2009 से अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत चला आ रहा है तथा न्यायालय द्वारा साक्षी को तलब किये जाने हेतु आदेशिकाएं जारी की गयी। आदेश पत्र के अवलोकन से यह भी दर्शित है कि अभियोजन द्वारा किसी भी साक्षी को प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष को साक्षी को प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया। उसके पश्चात भी अभियोजन पक्ष की ओर से कोई साक्षी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 08.05.2026 को न्यायालय द्वारा अभियोजन के साक्ष्य का अवसर गवाहों की निरंतर अनुस्थिति तथा अभियोजन अधिकारी द्वारा कार्यवाही स्थगन के अभाव में समाप्त किया गया तथा पत्रावली को धारा-313 द०प्र०सं० के बयान हेतु नियत किया गया।

7. अभियुक्तगण विनोद कुमार गौतम व रत्नेश त्रिपाठी उर्फ गोपाल का बयान अन्तर्गत धारा-313 दंण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक-13.05.2026 को अभिलिखित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन के साक्ष्य के संबंध में कुछ नहीं कहा, मुकदमा झूठा व गलत

चलना बताया तथा सफाई साक्ष्य देने से इन्कार किया किया गया। पत्रावली बहस में अग्रसारित की गयी।

8. न्यायालय द्वारा विद्वान अभियोजन अधिकारी तथा अभियुक्तगण / बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा की गयी बहस को सुना गया।

9. वर्तमान मामले में विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा दौरान बहस न्यायालय के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा प्रश्नगत मामले में किसी भी साक्षी को अपने बचाव में प्रस्तुत नहीं कराया गया है, जिस कारण अभियोजन कथानक पूर्ण रूप से बलहीन नहीं माना जा सकता तथा शेष अभियोजन प्रपत्रों के आलोक में अभियुक्तगण को दोष सिद्ध किये जाने हेतु पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है, जिनके आधार पर अभियुक्तगण को कठोर से कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना उनके द्वारा की गयी है।

10. अभियुक्तगण/बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नगत मामले में अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध सिद्ध करने के लिए न्यायालय के समक्ष किसी भी साक्षी को प्रस्तुत नहीं किया गया है। दांडिक विधि का यह सुस्थापित सिद्धानत है कि अभियोजन को अभियुक्तगण के प्रति आपराधिक उत्तरदायित्व को युक्ति-युक्त संदेह से परे सिद्ध करना होगा। वर्तमान मामले में अभियोजन द्वारा किसी भी साक्षी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कराया गया है, जिस कारण संपूर्ण अभियोजन कथानक संदेहास्पद एवं बलहीन है। अतः अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण के प्रति आरोपित अपराधों के साक्ष्य के माध्यम से सिद्ध न किया जाने के कारण अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाए।

<u>विश्लेषण एवं अभिमत</u>

11. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्तगण विनोद कुमार गौतम व रत्नेश त्रिपाठी उर्फ गोपाल पर धारा 379,411 भा०द०सं० के अधीन अपराध कारित किये जाने का आरोप है। न्यायालय को मुख्यतः इस बिन्दु पर अपना अभिमत व्यक्त करना है कि अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोपो को साक्ष्य के माध्यम से युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित किया गया है अथवा नहीं?

12. धारा-379, भा०द०सं० चोरी के विषय में- जो कोई चोरी करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा और इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति के दूसरे या पश्चातवर्ती दोषसिद्धि के मामले में उसे ऐसे कठिन कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु पांच वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

परंतु चोरी के उन मामलों में जहां चोरी की गयी संपंत्ति का मूल्य पांच हजार रुपए से कम है और कोई व्यक्ति पहली बार के लिए दोषसिद्ध किया गया है, चोरी की गई संपत्ति के वापस करने पर या संपत्ति को प्रत्यावर्तित करने पर उसे सामुदायिक सेवा से दडित किया जाएगा।

12. धारा-411 भा०द०सं० चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के विषय में- जो कोई, किसी चुराई हुई संपत्ति को, यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चुराई हुई संपत्ति है, बेईमानी से प्राप्त करता है या रखता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

13. प्रश्नगत प्रकरण वर्ष 2006 से विचाराधीन है एवं अति प्राचीनतम वादों में से एक है तथा एक्शन प्लान की श्रेणी में आता है। अभियोजन पक्ष की तरफ से किसी भी साक्षी को

परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक-24.06.2009 को आरोप विरचित किया गया। अभियोजन को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु विगत 17 वर्षों से अनवरत अवसर प्रदान किया गया किंतु अभियोजन पक्ष की ओर से किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। अभियोजन द्वारा किसी भी साक्षी को प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष को साक्षी को प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया। उसके पश्चात भी अभियोजन पक्ष की ओर से कोई साक्षी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। दिनांक-08.05.2026 को न्यायालय द्वारा अभियोजन के साक्ष्य का अवसर गवाहों की निरंतर अनुपस्थिति तथा अभियोजन अधिकारी द्वारा कार्यवाही स्थगन के अभाव में समाप्त किया गया। अभियोजन साक्ष्य का अवसर समाप्त किये जाने के उपरांत विद्वान अभियोजन अधिकारी द्वारा किसी प्रकार का रिकाल आवेदन पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया। दिनांक-22.05.2026 को पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी। अभियुक्तगण व अभियोजन के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

14. अभियोजन द्वारा सम्पूर्ण घटना को सिद्ध करने हेतु सर्वप्रथम घटना की तिथि, समय व स्थान को सिद्ध किया जाना आवश्यक है। आपराधिक विधि का मूलभूत सिद्धान्त है कि न्यायालय के समक्ष सर्वश्रेष्ठ साक्षी को अभियोजन द्वारा पेश किया जाना चाहिये। वर्तमान प्रकरण में अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

आरोपित धारा/धाराओं के संदर्भ में साक्ष्य का विश्लेषण व अभिमत-

15. अभियुक्तगण के प्रति आरोपित धारा-379 भा०दं०सं० चोरी करने व धारा-411 भा०दं०सं० चोरी की गयी संपत्ति प्राप्त करने से सम्बंधित हैं।

16. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **एच०पी० एडमिनिस्ट्रेशन बनाम ओम प्रकाश एच०आई०आर० 1972, सुप्रीम कोर्ट 975** में यह अवधारित किया गया है कि प्रत्येक संदेह का लाभ अभियुक्तगण को दिया जायेगा। इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **हरेन्द्र सरकार बनाम स्टेट आफ आसाम ए.आई.आर. 2008 सुप्रीम कोर्ट 2467** में यह अवधारित किया गया है कि अभियोजन को अपना पक्ष अभियुक्तगण के विरुद्ध संदेह से परे सिद्ध करना होगा एवं संदेह का लाभ अभियुक्तगण को दिया जायेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **Rupinder singh Sandhu versum State of Punjab (S.C):2018 AIR (Supreme Court) 2395, 2018(16)SCC 475 Criminal Appeal No:59 of 2007, Criminal Appeal No-60 of 2007,** पैरा-20 में प्रतिपादित विधि सिद्धान्त में यह उद्धरित किया गया है कि **"Before a man can be convicted of a crime, it is usually necessary for the prosecution to prove that a certain event or a certain state of affair which is forbidden by the criminal law has been caused by his conduct and that this conduct was accompanied by a prescribed state of mind. The even or state of affairs is usually called the actus reus and the state of mind the mrns rea of crime. Both these elements must be proved beyond reasonable doubt by the prosecution,"**
(Smith J.C.& Hogan Brian, The Elements of a crime in CRIMINAL LAW,5th Ed. ELBS 1983,P.29)

17. विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि अभियोजन पक्ष को अपने मामले को अभियुक्तगण के विरूद्ध संदेह से परे साबित करना होता है एवं संदेह का लाभ अभियुक्तगण को दिया जायेगा। इस सम्बंध में माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा **उ०प्र०राज्य प्रति रामबीर सिंह एवं अन्य** में यह अवधारित किया गया है कि **"Paramount consideration of the court is to ensure that miscarriage of justice is prevented. A Miscarriage of**

justice which may arise from acquittal of the guilty is no less than form the conviction of an-innocent."

18. पत्रावली का सम्यक परिशीलन करने तथा विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के पश्चात न्यायालय के अभिमत में यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में ऐसा तथ्य प्रकाश में नहीं आया है जिससे अभियोजन कथानक को कोई बल मिलता हो। अभियोजन द्वारा कोई भी साक्षी उपरोक्त मुकदमें में परीक्षित नहीं कराया गया है, जबकि अभियोजन को साक्ष्य कराने हेतु न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था, परन्तु अभियोजन पक्ष द्वारा कोई भी मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे अभियोजन पक्ष वर्तमान वाद के तथ्यों को संपुष्ट कर सके। मौखिक साक्षियों की अनुपस्थिति विशेषतः प्राथमिक साक्षियों का उपस्थित न होना सम्पूर्ण अभियोजन कथानक की विश्वसनीयता तथा प्रासंगिकता को प्रश्न चिन्हित करता है। आपराधिक वाद के संदर्भ में मूलभूत अवधारणा यह है कि कोई भी अपराध या व्यक्ति विशेष के विरूद्ध नहीं अपितु राज्य के विरूद्ध किया जाना माना जाता है। अतः अभियोजन पक्ष का यह प्राथमिक उत्तरदायित्व है कि साक्ष्य प्रस्तुतिकरण की कार्यवाही में विशेष अभिरुचि के साथ सहभागिता करें। किंतु वर्तमान प्रकरण में अभियोजन पक्ष द्वारा विगत 20 वर्षों से किसी भी साक्षी को परीक्षित न करा पाना अभियोजन की वाद की कार्यवाही में उदासीनता दर्शित करता है। ऐसी स्थिति में बिना किसी पुष्टिकारक साक्ष्य के मात्र अभियोजन कथानक के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं हो सकते।

19. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण विनोद कुमार गौतम व रत्नेश त्रिपाठी उर्फ गोपाल पर लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा-379,411 भा०दं०सं० को युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण विनोद कुमार गौतम व रत्नेश त्रिपाठी उर्फ गोपाल मुकदमा अपराध संख्या-06/06, अंतर्गत धारा- 379,411 भा०दं०सं० के आरोप से दोष मुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण विनोद कुमार गौतम व रत्नेश त्रिपाठी उर्फ गोपाल को मुकदमा अपराध संख्या-06/06, थाना कोतवाली, जिला देवरिया के मामले में लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा- 379,411 भा०दं०सं० से दोष मुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर है। अभियुक्तगण धारा-437ए द०प्र०सं० के प्राविधानों के अंतर्गत मु० 20,000/- (बीस हजार) रूपये के बंधपत्र व समान धनराशि की दो जमानते अंदर 10 दिवस दाखिल करना सुनिश्चित करे। अतः उसके द्वारा पूर्व में दाखिल बंधपत्र एवं जमानतनामें निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूओं को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। इस निर्णय की एक-एक प्रति जिलाधिकारी देवरिया, पुलिस अधीक्षक देवरिया एवं एस०पी०ओ० को प्रेषित की जाये।

दिनांक-29-06-2026

sd/-
(प्रज्ञा सिंह-III)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं०-17, देवरिया।
आई.डी. यू.पी.2269

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

दिनांक-29-06-2026

sd/-
(प्रज्ञा सिंह- III)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं०-17, देवरिया।
आई.डी. यू.पी.2269